

न्यायालय उप जिला कलेक्टर

दिनांक	फर्द अहकाम
--------	------------

14/3/2022 पन्नावती रेशम घुमी वादी व वादी वकील उपस्थित
 नहीं। प्रकरण में बार-बार वादी व वादी वकील
 को मानाजत दिलाया गया। मानाजत दिला जाने
 के बावजूद वादी व वादी वकील उपस्थित नहीं
 मिलने के कारण यह है कि वादी व वादी वकील
 प्रकरण जारी रखने में रुचि नहीं ले रहे हैं।
 अतः मु० न० 112/18 द्वारा बीजराम बनाम श्रीमती
 मयम घुमी व इदम पेशी में जारी किया
 जाता है। पन्नावती केसल शुमार रेशम घुमी
 में रुक गई।

उपखण्ड अधिकारी
 हिण्डौन सिटी (कौली)